संख्या: 08/2019/335/77-6-19-4(बजट)/17

प्रेषक,

डा0 अनिल कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 24 जून, 2019

विषयः पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के अन्तर्गत पात्र औद्योगिक इकाइयों को योजनान्तर्गत पूंजीगत ब्याज उपादान वितरित करने हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पिकप के पत्र संख्या इन्स-10-2/2012-13/56 दिनांक 09.04.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय (क्रमशः)-60-अन्य(क्रमशः)-800-अन्य व्यय(क्रमशः)-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 60000.00(रू0 छः सौ करोड मात्र) के सापेक्ष पूंजीगत ब्याज उपादान योजना 2012 हेतु धनराशि रू0 2,88,22,000.00(रूपये दो करोड़ अठ्ठासी लाख बाईस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) यह धनराशि सीधे जिस संस्था को भुगतान किया जाना है, उसके खाते में आहरित कर जमा की जायेगी। आहरित धनराशि पिकप के बैंक खाते में जमा नहीं की जायेगी। इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक, पिकप् द्वारा हस्ताक्षरित कर अपर आयुक्त, उद्योग, लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलबध कराया जाएगा।

(2) यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो शासनादेश संख्याः 1415/77-6-12-08(एम)/12टी.सी.V दिनांक 30-11-2012 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हों।

(3) यह धनराशि ऐसी पात्र इकाइयों, जिनका प्रत्यावेदन पिकप में प्राप्त हो या आगे प्राप्त होंगे को उनके प्राप्त प्रत्यावेदन के यथाक्रम में वरीयतानुसार आवश्यक औपचारिकताएं एवं अनुबन्ध पूर्ण कराते हुए उपलब्ध करायी जाएगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आकलन अपर आयुक्त, उद्योग, लखनऊ द्वारा किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) प्रशासकीय विभाग पिकप द्वारा वितरित ऋणों की वसूली नियमित रूप से सुनिश्चित करेंगे। वसूली में शिथिलता बर्ते जाने पर उत्तरादायित्व निर्धारित कर अग्रेतर कार्यवाही प्रशासकीय विभाग द्वारा की जायेगी।

(6) पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार संबंधित इकाइयों को ब्याज उपादान की देयता तथा धनराशि की अनुमन्यता के संबंध में पिकप उत्तरादायी होगें।

(7) स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा।

(9) इस संबंध मे होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के उद्योग विभाग के अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय (क्रमशः)-60-अन्य(क्रमशः)-800-अन्य व्यय(क्रमशः)-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के नामे डाला जाएगा।

2- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशासकीय संख्या ई-6-400/दस-19 दिनांक 14.06.19 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 अनिल कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या:08/2019/335(1)/77-6-19-4(बजट)/17 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय, (लेखा एवं हकदारी) उ.प्र., प्रयागराज।
2- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, पिकप।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
7- नियोजन अनुभाग-1/4
8- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in